



309

802 5000Rs.



जो न लकड़ा
28-7-10

... 46 D ...
... 23 I A ...
... by S.D.O. Simdega vide
... Case No. 79/2010-11

order dated
16-7-2010

28-7-10

श्री जोन लकड़ा पिता स्व० फ्रांसिस लकड़ा
जाति- उरावं, पेसा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा
टांठठाटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
बिकेता ।

संपत्ति-पत्र संख्या:- 552 / 2010

पट्ट्याम गावडे
जो न लकड़ा, पिता फ्रांसिस लकड़ा
गांव- बजाटोली, थाना- सिमडेगा
जिला- सिमडेगा
28/7/2010



--2--

॥2॥ लेख्यधारणी:- श्रीमती अमासी लकड़ा पति श्री हीरालाल लकड़ा, जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- सिमडेगा बाजारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

सपथ-पत्र संख्या:- 553 / 2010

॥3॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥4॥ मूल्य:- मोबिलिग दो लाख एकतीस हजार रुपये अंके 2,31,000/- रुपये होता है ।

॥5॥ सम्पति:- सराजियात अन्दर मौजा- गौतरा टांवाटाटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 158 ॥ एक सौ अनठावन ॥ प्लॉट नं० 1684 ॥ मोलह सौ चौरासी ॥ रकबा 0.80 एकड़ में से 0.10 एकड़ ॥ इस इम्मिल ॥ यह जमीन व्यक्तायिक नहीं है पूर्णतः आवासीय है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- टांड इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

दक्षिण:- टांड इसी प्लॉट का अंश इग्नेस खीड़ा,

हीरालाल लकड़ा पति - १० - सिमडेगा
श्रीम अमासी लकड़ा पुत्र अमासी
सदा - अमासी

28/7/10

553/2010
28-7-10



--3--

पूरब :- टाड़ निलुप्त उराँव,

पश्चिम:- पक्की सड़क ।

मालगुजारी 5 पैसा ४ पाँच पैसा ४ अलावे सेस सलाना ।

॥1॥ चूँकि मुझ लेख्यकारी को बीमारी को इलाज कराने एवं अन्य दीगर खरेलू खर्च के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

॥2॥ इसीलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

॥3॥ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे परदादा बंधु उराँव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मालगुजारी रसीद फ्रांसिस लकड़ा वगैरह के नाम से कटता है । मेरे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद

20/10
28-7-010
5/5



--4--

जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगडा झंझट नहीं है ।

॥4॥ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य है अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में ओटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 79/2010-11 है जिसकी स्वीकृत दिनांक 16.7.2010 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं 653॥1॥ दिनांक 16.7.2010 है ।

॥5॥ अब चाहिए कि लेखधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

॥6॥ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

2010
8
8
15
2010



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो
बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

जोय लखड़ा
28-7-10

28-7-10
5



प्रमाणित किया जाता है कि जोय लखड़ा ने
अपने बायें हाथ के पांचों उंगलियों का
हाथ में साहक किया ।

Devee Thumf
Secy.
28-7-10



--7--


उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *Lakee Ahmad*
Actr.
 28-7-10

प्रारूपकर्ता

तारीख:-

100
 8
 5
 10
 28-7-10



--8--

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल आठ पृष्ठों में कुल 596 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वाे नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसुद
१४-७-१०

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

जि० ए० ए०
१४-७-१०